

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 424]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2019—आश्विन 23, शक 1941

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2019

क्र. 84 (9)-वि-निर्वा.-चार-2019-उपचुनाव-224.—भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश क्रमांक 576/EVM/2019/SDR-VOL.II, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 एवं उसका हिन्दी रूपान्तर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

व्ही. एल. कान्ता राव, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 11 अक्टूबर, 2019

निदेश

सं.576/3/ईवीएम/2019/एसडीआर/खण्ड-II:- यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 क यह उपबंधित करती है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान और मतों का अभिलेखन ऐसी रीति, जैसी कि निर्धारित की जाए, से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथाअनुमोदित डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए; और

3. यतः, आयोग ने हरियाणा एवं महाराष्ट्र के विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के लिए सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा 17 राज्यों की 51 विधान सभाओं (संलग्नक-1 के अनुसार) तथा बिहार राज्य के 23-समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं महाराष्ट्र राज्य के 45- सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आयोग के प्रेस नोट दिनांक 21.09.2019, 22.09.2019 एवं 24.09.2019 के द्वारा घोषित, उप-चुनावों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और आयोग संतुष्ट है कि उपर्युक्त संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल [वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा पेपर ट्रेल (इसमें इसके उपरान्त वीवीपीएटी प्रिंटर के रूप में उल्लिखित) के लिए प्रिंटर का दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं वीवीपीएटी प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा हरियाणा एवं महाराष्ट्र के विधान सभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचन में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, तथा 17 राज्यों की 51 विधान सभाओं (संलग्नक-1 के अनुसार) तथा बिहार राज्य के 23-समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं महाराष्ट्र राज्य के 45- सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जहां आयोग द्वारा

घोषित अनुसूची के अनुसार साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन किए जा रहे हैं तथा जिसके लिए मतदान दिनांक 21.10.2019 को होना है, को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में जहां मत निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से तथा इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपीएटी प्रिंटर के माध्यम से डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे, को विनिर्दिष्ट करता है।

5. आयोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कांपरिशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर (वीवीपीएटी प्रिंटरों), जिसे उपर्युक्त सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतों को डालने और रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग करने हेतु उक्त वोटिंग मशीनों के साथ जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्वारा अनुमोदित करता है।

आदेश से,

हस्ता./-

(एन. टी. भूटिया)

सचिव.

संलग्नक-1

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	56-खोन्सा (पश्चिम) (अ.ज.जा.)
2.	असम	1-रतबाडी (अ.जा.)
3.	असम	44-जनिया
4.	असम	74-रंगापारा
5.	असम	106-सोनारी
6.	बिहार	54-किशनगंज
7.	बिहार	76-सिमरी बख्तियारपुर
8.	बिहार	109-दरौदा
9.	बिहार	158-नाथनगर
10.	बिहार	163-बेलहर
11.	छत्तीसगढ़	87-चित्रकोट (अ.ज.जा.)
12.	गुजरात	8-थराद
13.	गुजरात	20-खेरातु
14.	गुजरात	50-अमराईवाडी
15.	गुजरात	122-लुणावाडा
16.	हिमाचल प्रदेश	18धर्मशाला
17.	हिमाचल प्रदेश	55-पच्छाद (अ.जा.)
18.	केरल	01-मंजेश्वर
19.	केरल	82-एरनाकुलम
20.	केरल	102-अरूर
21.	केरल	114-कोन्नी
22.	केरल	133-वट्टीयूरकावू
23.	मध्य प्रदेश	193-झाबुआ (अ.ज.जा.)
24.	मेघालय	26-शेल्ला (अ.ज.जा.)
25.	उड़ीसा	2-बिजेपुर
26.	पुडुचेरी	10-कामराज नगर
27.	पंजाब	29-फगवाडा (अ.जा.)
28.	पंजाब	39-मुकेरियाँ
29.	पंजाब	68-दाखा
30.	पंजाब	79-जलालाबाद
31.	राजस्थान	28-मंडावा
32.	राजस्थान	110-खींवसर
33.	सिक्किम	10-पोकलोक-कामरंग
34.	सिक्किम	24-मारतम-रुमटेक (बी.एल)
35.	सिक्किम	27-गंगटोक (बी.एल)
36.	तमिलनाडु	75-विक्रावाडी
37.	तमिलनाडु	227-नानगुनेरी

38.	तेलंगाना	89-हजूरनगर
39.	उत्तर प्रदेश	7-गंगोह
40.	उत्तर प्रदेश	37-रामपुर
41.	उत्तर प्रदेश	77-इगलास (अ.जा.)
42.	उत्तर प्रदेश	175-लखनऊ कैंटोमेंट
43.	उत्तर प्रदेश	212-गोविन्दनगर
44.	उत्तर प्रदेश	237-मानिकपुर
45.	उत्तर प्रदेश	248-प्रतापगढ
46.	उत्तर प्रदेश	269-जैदपुर (अ.जा.)
47.	उत्तर प्रदेश	280-जलालपुर
48.	उत्तर प्रदेश	282-बलहा (अ.जा.)
49.	उत्तर प्रदेश	354-घोसी
50.	गुजरात	16-राधनपुर
51.	गुजरात	32-बायड

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 11th October, 2019

DIRECTION

No.576/3/EVM/2019/SDR-Vol.II:- Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Commission has considered the circumstances in all the Constituencies for the General Elections to the Legislative Assemblies of Haryana & Maharashtra and bye elections from 51 Assembly Constituencies(as per Annexure-I) of 17 States and from 23-Samastipur(SC) Parliamentary Constituency in the State of Bihar & 45-Satara Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra, announced by the Commission through Press Notes dated 21-09-2019, 22-09-2019 and 24-09-2019 and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines and Printers for printing Paper Trail [Voter

Verifiable Paper Audit Trail(VVPAT)] are available for taking the poll in the abovementioned Parliamentary/Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and Printers for Paper Trail (hereafter referred to as 'VVPAT Printers') and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines and the VVPAT Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies all the Assembly Constituencies of Haryana & Maharashtra at the current General Elections to the State Legislative Assemblies and the 51 Assembly Constituencies(as per Annexure-I) of 17 States & 23-Samastipur(SC) Parliamentary Constituency in the State of Bihar & 45-Satara Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra from where general elections/bye-elections are being held and poll for which is scheduled to be taken on 21-10-2019, as the constituencies in which the votes, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

5. The Commission also hereby approves the design of the Electronic Voting Machine and the Printer with the drop box (the VVPAT Printers) as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.

By order,

Sd./-
(N. T. BHUTIA)
Secretary,

Annexure-I

Sl.No.	Name of State	Number and Name of Assembly Constituency
1.	Arunachal Pradesh	56-Khonsa (West)(ST)
2.	Assam	1-Ratabari (SC)
3.	Assam	44-Jania
4.	Assam	74-Rangapara
5.	Assam	106-Sonari
6.	Bihar	54-Kishanganj
7.	Bihar	76-Simri Bakhtiarpur
8.	Bihar	109-Daraunda
9.	Bihar	158-Nathnagar
10.	Bihar	163-Belhar
11.	Chhattisgarh	87-Chitrakot (ST)
12.	Gujarat	8-Tharad
13.	Gujarat	20-Kheralu
14.	Gujarat	50-Amraiwadi
15.	Gujarat	122-Lunawada
16.	Himachal Pradesh	18-Dharamshala
17.	Himachal Pradesh	55-Pachhad (SC)
18.	Kerala	01-Manjeshwar
19.	Kerala	82-Ernakulam
20.	Kerala	102-Aroor
21.	Kerala	114-Konni
22.	Kerala	133- Vattiyoorkavu
23.	Madhya Pradesh	193 - Jhabua (ST)
24.	Meghalaya	26-Sheila (ST)
25.	Odisha	2- Bijepur
26.	Puducherry	10 - Kamraj Nagar
27.	Punjab	29-Phagwara (SC)
28.	Punjab	39-Mukerian

29.	Punjab	68 - Dakha
30.	Punjab	79 - Jalalabad
31.	Rajasthan	28-Mandawa
32.	Rajasthan	110-Khinwsar
33.	Sikkim	10 - Poklok-Kamrang
34.	Sikkim	24 - Martam-Rumtek (BL)
35.	Sikkim	27 - Gangtok (BL)
36.	Tamil Nadu	75- Vikravandi
37.	Tamil Nadu	227-Nanguneri
38.	Telangana	89-Huzurnagar
39.	Uttar Pradesh	7-Gangoh
40.	Uttar Pradesh	37-Rampur
41.	Uttar Pradesh	77-Iglas (SC)
42.	Uttar Pradesh	175 -Lucknow Cantt.
43.	Uttar Pradesh	212-Govindnagar
44.	Uttar Pradesh	237-Manikpur
45.	Uttar Pradesh	248-Pratapgarh
46.	Uttar Pradesh	269-Zaidpur (.SC)
47.	Uttar Pradesh	280-Jalalpur
48.	Uttar Pradesh	282-Balha (SC)
49.	Uttar Pradesh	354-Ghosi
50.	Gujarat	16-Radhanpur
51.	Gujarat	32-Bayad